दैनिक भास्कर बिलासपुर भास्कर 24-08-2025

यह असली जनहित याचिका नहीं, निजी व्यापारिक हित: कोर्ट

एनटीपीसी से फ्लाई ऐश के ओवरलोड ट्रकों पर रोक की मांग, जनहित याचिका खारिज, 50 हजार जुर्माना लगाया

लीगलरिपोर्टर | बिलासपुर

हाई कोर्ट ने एनटीपीसी सीपत से फ्लाई ऐश के ओवरलोड ट्रकों पर रोक की मांग लगाने समेत अन्य मांगों को लेकर लगाई गई जनहित याचिका खारिज कर दी है। रीजनल ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन, सीपत ने अध्यक्ष के जरिए जनहित याचिका लगाई थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने कहा कि यह याचिका असली जनहित नहीं बल्कि व्यक्तिगत व्यापारिक हित से प्रेरित है। हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाते हुए सुरक्षा निधि भी जब्त कर ली है।

रीजनल ट्रांसपोर्टर वेलफेयर एसोसिएशन, सीपत ने अध्यक्ष शत्रुघ्न कुमार लस्कर के माध्यम से एनटीपीसी सीपत से निकलने वाले फ्लाई ऐश से भरे ट्रकों की ओवरलोडिंग रोकने, प्रदूषण से बचाव के लिए सभी ट्रकों को तिरपाल से ढककर भेजने और सीपत-बिलासपुर- बलौदा मार्ग पर मोटर व्हीकल एक्ट का सख्ती से पालन कराने की मांग की थी। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रवींद्र कुमार अग्रवाल ने पाया कि याचिकाकर्ता स्वयं ट्रांसपोर्टर है और एनटीपीसी के परिवहन ठेकों में उसकी प्रत्यक्ष व्यावसायिक रुचि है। याचिकाकर्ता ने पहले अधिकारियों को पत्र लिखकर स्थानीय ट्रांसपोर्टर को प्राथमिकता देने और भाड़ा दर तय करने की मांग भी की थी, जिससे उसका निजी स्वार्थ स्पष्ट होता है।

इस मुद्दे पर पहले से याचिका लंबित

हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इसी मुद्दे पर पहले से ही जनहित याचिका लंबित है और हाई कोर्ट ने इससे जुड़े मामले पर संज्ञान लिया है। इसके बावजूद याचिकाकर्ता ने समान मुद्दे पर याचिका लगाई, जो जनहित नहीं बल्कि व्यक्तिगत व्यापारिक प्रतिस्पर्धा का हिस्सा है।

याचिकाकर्ता ने खुद के खिलाफ केस छिपाया

सुनवाई के दौरान यह तथ्य भी सामने आया कि जुलाई 2025 में याचिकाकर्ता के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, जिसमें उस पर एनटीपीसी से जुड़े गिट्टी परिवहन कार्य में लगे वाहनों को रोकने, चालकों को धमकाने और कानून-व्यवस्था बिगाड़ने के आरोप लगे थे। इस तथ्य को याचिका में छुपाने को अदालत ने गंभीर माना और कहा कि इससे उसकी विश्वसनीयता पर सवाल उठते हैं।

गरीब- वंचित के अधिकारों की रक्षा का हथियार

हाई कोर्ट ने कहा कि जनहित याचिका गरीब और वंचित वर्गों के अधिकारों की रक्षा का हथियार है, न कि निजी बदले और व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता का। इस तरह की निरर्थक याचिकाएं कोर्ट के समय की बर्बादी करती हैं। 50 हजार जुर्माने की राशि गरियाबंद और बालोद की विशेष दत्तक ग्रहण एजेंसियों को देने के निर्देश दिए गए हैं।